<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122025-268350 CG-DL-E-09122025-268350

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360।

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2025/अग्रहायण 14, 1947

No. 360]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2025/AGRAHAYANA 14, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

(मामला सं. एडी (ओआई) - 21/2024)

विषय: चीन जन. गण. और सिंगापुर के मूल अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय एंटीऑक्सीडेंट" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/23/2024 - डीजीटीआर---संबद्ध पाटनरोधी जांच के संदर्भ में समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षित निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकरण ने 23 सितम्बर 2025 की अधिसूचना फा. सं. 6/23/2024-DGTR के माध्यम से विषयक पाटनरोधी जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणाम जारी किए।

8217 GI/2025 (1)

2. उपरोक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, पैराग्राफ 42 जिसमें सकल भारतीय उत्पादन (अर्थात, निर्यात हेतु निर्धारित उत्पादन सहित भारतीय उत्पादन) तथा उसमें आवेदक और अन्य उत्पादकों के हिस्से की जानकारी दी गई है, को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

42.जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक की स्थिति प्रश्न योग्य है क्योंकि जब कुल भारतीय उत्पादन का निर्धारण करना होता है, क्योंकि यह केवल एचपीएल के घरेलू उत्पादन पर विचार करता है यह देखा गया है कि आवेदक का हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन का \*\*\*% है अर्थात भारतीय उत्पादकों द्वारा किए गए सकल उत्पादन पर विचार करते हुए किया गया है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में आवेदक के हिस्से को निम्नानुसार निर्धारित किया है:

विवरण	यूओएम	
आवेदक का सकल उत्पादन	%	***
अन्य उत्पादकों का सकल उत्पादन		
कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स	%	***
एचपीएल एडीटिव्स	%	***
कुल (/सकल) भारतीय उत्पादन	%	100

3. इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 98 जिसमें भारतीय उत्पादन की मात्रा, भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात तथा उनके रुझानों की जानकारी दी गई है, को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	अप्रैल'22-	पीओआई
				जून'23	
				(ক)	
आयात मात्रा	1	I			
चीन जन.गण. से आयात	मी. ट.	5,356	4,547	5,793	8,275
सिंगापुर से आयात	मी. ट.	4,428	5,766	4,280	3,321
संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	9,784	10,313	10,073	11,596
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	2,508	5,323	2,534	3,123

कुल मांग	मी. ट.	12,292	15,636	12,607	14,720
कुल आयातों के संबंध में संबद्ध आयात	%	80	66	80	79
भारतीय उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	129	212	269
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	82	49	44
भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	80	92	80

अमिताभ कुमार,निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General Of Trade Remedies)

#### **CORRIGENDUM NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2025

Case No. AD (OI) - 21/2024

# <u>Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "certain antioxidants" originating in or exported from China PR and Singapore</u>

- **F. No. 6/23/2024-DGTR.** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority issued the Final Findings in respect of the subject anti-dumping investigation vide Notification F. No. 6/23/2024-DGTR, dated 23<sup>rd</sup> September 2025.
- 2. In partial modification of the aforementioned notification, paragraph 42 which provides information on gross Indian production (i.e., Indian production including production meant for exports) and share of applicant and other producers therein, is corrected to be read as under:
  - 42. As regards the argument that applicant's standing is questionable as it considered only HPL's domestic production when determining the total Indian production, it is seen that the share of the applicant is \*\*\*% of the total Indian production i.e., considering the gross production by the Indian producers. Based on information on record, the Authority has determined the Indian production and share of the applicant in Indian production as follows:

Particulars	UOM	
Gross production of Applicant	%	***
Gross production of other producers		
Krishna Antioxidants	%	***
HPL Additives	%	***
Total (gross) Indian production	%	100

3. Further, paragraph 98 which provides the volume of Indian production, imports in relation to Indian production, and trends thereof, is corrected to be read as under:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	Apr'22-	POI
				Jun'23 (A)	
Import Volume					
Imports from China PR	MT	5,356	4,547	5,793	8,275
Imports from Singapore	MT	4,428	5,766	4,280	3,321
Imports from subject countries	MT	9,784	10,313	10,073	11,596
Imports from Other Countries	MT	2,508	5,323	2,534	3,123
Total Imports	MT	12,292	15,636	12,607	14,720
Subject imports in relation to total	%	80	66	80	79
imports					
Indian production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	129	212	269
Subject imports in relation to	%	***	***	***	***
Indian production					
Trend	Indexed	100	82	49	44
Subject imports in relation to	%	***	***	***	***
Indian consumption					
Trend	Indexed	100	80	92	80

AMITABH KUMAR, Designated Authority